

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
मांग संख्या 57
विधि एवं न्याय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		91.20	338.94	430.14	94.20	307.24	401.44	120.00	351.46	471.46	
पूंजी		4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	...	1.55	1.55	
जोड़		96.00	338.94	434.94	99.00	307.24	406.24	120.00	353.01	473.01	
(करोड़ रुपए)											
1.	<i>सचिवालय-सामान्य सेवाएं</i>										
1.01	विधि कार्य विभाग	2052	...	12.49	12.49	...	12.13	12.13	...	13.99	13.99
1.02	विदेशीमुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई)	2052	0.40	0.40	
1.03	विधायी विभाग	2052	...	4.27	4.27	...	4.69	4.69	...	4.71	4.71
1.04	न्याय विभाग	2052	0.10	0.72	0.82	0.10	0.71	0.81	...	0.77	0.77
1.05	संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग	2052	...	1.00	1.00	...	1.49	1.49	...	0.08	0.08
1.06	अन्य	2052	...	5.36	5.36	...	5.20	5.20	...	6.57	6.57
	जोड़		0.10	23.84	23.94		0.10	24.22		26.52	26.52
2.	<i>राज्य चुनाव के अंग</i>										
2.01	सामान्य चुनावी स्वर्च	2015	...	275.00	275.00	...	237.29	237.29	...	275.00	275.00
2.02	मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करना	2015	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
	जोड़		...	280.00	280.00	...	242.29	242.29	...	280.00	280.00
3.	<i>राजकोषीय सेवाएं</i>										
3.01	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	2020	...	17.50	17.50	...	18.52	18.52	...	20.96	20.96
4.	<i>न्याय प्रशासन</i>										
4.01	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	2014	21.00	...	21.00	12.47	...	12.47	5.60	...	5.60
4.02	शहरी सिविल न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण	2014	8.53	...	8.53	6.40	...	6.40
4.03	विशेष न्यायालय	3601	1.70	1.70
4.04	अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आई.सी. ए.डी.आर.)	2014	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.72	2.72
4.05	न्यायपालिका के लिए आधारद्वारा संबंधी सुविधा हेतु बिना विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	2014	2.15	...	2.15	2.15	...	2.15	2.70	...	2.70
4.06	अन्य व्यय	2014	...	11.61	11.61	...	14.21	14.21	...	14.56	14.56
	जोड़		23.15	14.11	37.26	23.15	16.71	39.86	14.70	18.98	33.68
5.	<i>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</i>										
5.01	न्यायपालिका के लिए आधार-द्वारा संबंधी सुविधाएं	3601	58.30	...	58.30	61.30	...	61.30	87.30	...	87.30
5.02	संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	3602	4.85	...	4.85	4.85	...	4.85	6.00	...	6.00
5.03	अन्य कार्यक्रम	2070	...	3.49	3.49	...	5.50	5.50	...	5.00	5.00
5.04	अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए पूंजी परिव्यय	4070	1.55	1.55
	जोड़		63.15	3.49	66.64	66.15	5.50	71.65	93.30	6.55	99.85
6.	<i>पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान</i>										
		2552	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	12.00	...	12.00
		4552	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80
	जोड़		9.60	...	9.60	9.60	...	9.60	12.00	...	12.00
	कुल जोड़		96.00	338.94	434.94	99.00	307.24	406.24	120.00	353.01	473.01
ग.	आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़
1.	न्याय प्रशासन	32014	86.40	...	86.40	89.40	...	89.40	108.00	...	108.00
2.	एनईआर के लिए व्यय	22552	9.60	...	9.60	9.60	...	9.60	12.00	...	12.00
	जोड़		96.00	...	96.00	99.00	...	99.00	120.00	...	120.00

1.01 - 1.04 इसमें विभागों के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। विदेशी विनिमय अपीलिय न्यायाधिकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

1.05 यह प्रावधान संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग हेतु किया गया है।

1.06 यह प्रावधान राजभाषा स्कन्ध, जो केन्द्रीय अधिनियमों का हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उनकी छपाई के लिए जिम्मेदार है, के साथ-साथ एकीकृत मुकदमा अभिकरण के सचिवालय व्यय के लिए किया गया है जो केन्द्रीय अभिकरण की योजना में सम्मिलित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायलय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

2.01 यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को चुनावी व्यय से संबंधित केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है तथा इसमें मतदाता सूचियों आदि की तैयारी और छपाई को लागत भी शामिल है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की खरीद के लिए पृथक प्रावधान किया गया है।

2.02 यह प्रावधान मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने पर हुए व्यय के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति के लिए है।

3.01 आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य आयकर आयुक्तों, आयकर महानिदेशकों (अपील) और आयकर उपायुक्तों (अपील) के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है।

4.01 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 17 अगस्त, 1993 से एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 2002-2003 के दौरान अकादमी के पूर्णतया प्रचालन में आने की उम्मीद है।

4.02 यह प्रावधान चेन्नई, दिल्ली, कोलकत्ता तथा मुम्बई के चार महानगरीय शहरों में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर होने वाले व्यय के लिए है।

4.03 यह प्रावधान 12 केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत आर्थिक अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के साथ ही परिवार न्यायालयों की स्थापना पर राज्यों द्वारा उपगतव्यय की प्रतिपूर्ति के लिए है।

4.04 अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आई.सी.ए.डी.आर.) की स्थापना भारत में की गई है तथा इसे वैकल्पिक विवाद समाधान के विभिन्न तरीकों द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान की तैयारी करने, उनका प्रचार करने, संवर्धन करने तथा लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4.05 यह प्रावधान न्यायपालिका के लिए आधारढांचा संबंधी सुविधा देने हेतु बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए है।

4.06 यह व्यवस्था विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों और परामर्शदाताओं के लिए तथा निर्धनों को कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए की गई है। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के लिए प्रावधान भी शामिल है।

5.01 न्यायपालिका हेतु आधार ढांचा संबंधी सुविधाओं की स्थापना से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की गई है। इस योजना में सरकारी तथा आवासीय दोनों प्रकार के भवनों, जिनमें उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शामिल हैं, का निर्माण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत व्यय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। प्रावधान में राज्यों में उच्च न्यायलय भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है।

5.02 यह प्रावधान न्यायपालिका के लिए आधारढांचा संबंधी सुविधा देने हेतु विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराने के लिए है।

5.03 **अन्य कार्यक्रम** - इसके अंतर्गत विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ और विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया है।

5.04 यह प्रावधान विद्यायी मसौदा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए भूमि अधिग्रहण तथा भवन निर्माण के लिए है।

6. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है। उक्त योजनाएं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं।